न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूनी, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी दूनी द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 57/2012 संशोधित निर्णय दिनांक :–04.04.2025

उनवानी दावा :

मनफूल पुत्र बजरंगा जाति मीणा आयु 35 साल निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

–वादी –

बनाम

1. लादू उर्फ लादया पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ दूनी जिला टोंक राज0
2. रत्तिराम पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. मु0जडाव बेवा बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. ~~लक्ष्मीनारायण पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ दूनी जिला टोंक राज0~~
4/1 भैरूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4/2 ममता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. रामी पुत्री बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. लादी पुत्री बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. फूला पुत्री बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. तहसीलदार जी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
व 4/1 ता 4/2 व 5 ता 7

दावा घोषणा खातेदारी, इस्तकरार हक एवमं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता बजरंगा की खतेदारी की आराजियात साबिक ख. नं. 1304 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख. नं. 1529 रकबा 19 बिस्वा, ख. नं. 1530 रकबा 2 बिस्वा, ख. नं. 1531 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख. नं. 1532 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 1533 रकबा 7 बिस्वा, ख. नं. 1534 रकबा 4 बिस्वा, ख. नं. 1535 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 1536 रकबा 5 बिस्वा, ख. नं. 1559 रकबा 2 बिस्वा, ख. नं. 1621/1711 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, कुल किता 11 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम बंन्थली तह दूनी में स्थित है जिससे वादी के पिता का 1/2 हिस्सा है। व 1/2 हिस्सा वादी के चाचा मांग्या पुत्र देवा का है। वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 7 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

4.4.25

Scanned with OKEN Scanner

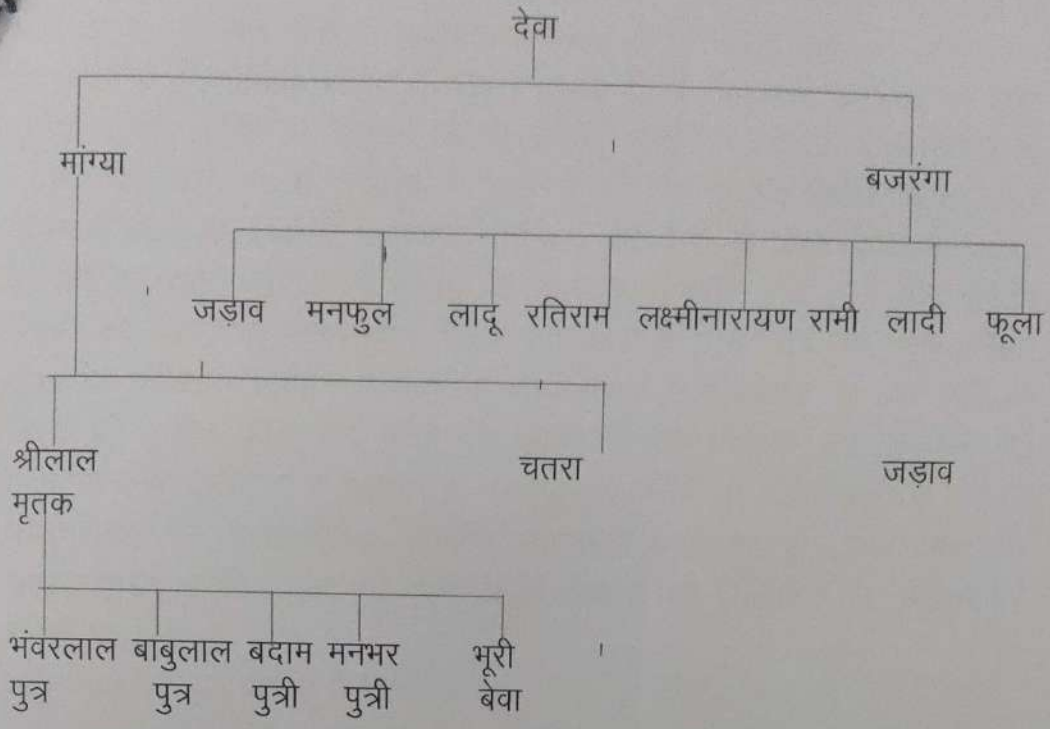

हाल ही में दूनी में सेटलमेंट हुआ है ओर सेटलमेंट के दौरान उपरोक्त साबिक ख0न0 के नये नम्बर 1966, 1967, 1968, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1985, 1987, 1988, 1532, 1516, 1530, 2128, 2129 बना दिये गये है। ग्राम बंथली की तन में विजयगढ ढाणी में उक्त खसरा नम्बर स्थित थे । राज्य सरकार द्वारा विजयगढ को राजस्व विलेज बना दिये जाने के कारण ग्राम बंथली के सभी नम्बर बदल दिये गये है ओर उपरोक्त वादपत्र के चरण न0 3 में वर्णित नम्बरान के हाल खसरा नम्बर 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 151, 152, 153, 154, 305, 308, 309, 347, 348, कुल किता 18 कुल रकबा 3.11 हेक्टर बना दिये गये है। उपरोक्त अराजियात वादी की पुश्तेनी आराजियात है उक्त जमीन वादी के पिता द्वारा बनायी गयी थी लेकिन प्रतिवादीगण 1 ता 7 ने राजस्व कर्मचारीयो से सांज करके उक्त आराजियात में वादी के हिस्से को समाप्त कर मृतक बजरंगा के स्वंय को वारिस बताते हुऐ नामान्तरण संख्या 180 दिनांक 14.06.1970 को स्वयं के नाम लगवा लिया । जबकि उक्त नामान्तरकरण में वादी का नाम भी अंकित होना चाहिए तथा नामा. संख्या 180 वादी के हितो के विपरीत शून्य है। वादपत्र का चरण नं. 4 में वर्णित हाल ख. नं. में 1/2 हिस्सा मृतक मांग्या पुत्र देवा के वारिसान का है उनके विरूद्ध वादी द्वारा कोई अधियाचना नहीं चाही गयी है वे उक्त संयुक्त खाते में 1/2 हिस्से सहखातेदार है लेकिन उनके विरूद्ध अधियाचना नहीं चाहने के कारण उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी के पिता के हिस्से में हाल ख. नं. जिनका वर्णन वादपत्र के चरण नं. 4 में किया गया है का कुल रकबा 3.11 है0 का 1/2 अर्थात 1.55 है0 जमीन वादी के पिता की बनती है और मृतक बजरंगा के वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 7 कुल 8 बारिस होने के कारण वादी के हिस्से में लगभग 0.19 है0 जमीन आती हैं जिसको वादी अपने खातेदारी में लगवाने का अधिकारी है। इसलिए प्रतिवादी नं. 1

4.4.25

1 7 के हिस्से में वादी का भी नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावे इसलिए यह वाद दुरूस्ती इन्द्राजत व घोषणा खातेदारी का श्रीमान की सेवा में पेश है। प्रतिवादी नं. 1 ता 7 आये दिन वादी के कब्जेकाश्त में मजामहत करते है वादी का अपने पिता के जमाने से ही मौखिक बंटवारे के अनुसार 0.19 है0 पर कब्जा है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वादी की हैसियत को भी चेलेन्ज करते है। इसलिए प्रतिवादीगण नं. 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह जरिये एजेन्ट नोकर चाकर के वादी के कब्जे में मजामहत नहीं करे और वादी के हिस्से की जमीन 0.19 है0 की हद तक जमीन अन्य किसी को रहन, दान, बेचान नहीं करे और राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बिनाय दावा आज से 7 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी 1 ता 7 ने वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत की ओर वादी के हिस्से की जमीन को बेचान करने की धमकी दी जो निरन्तर रूप से जारी है। विवादग्रस्त आराजियात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद का श्रावणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। दावा अ0 धारा 88,92–ए188, रा0टि0 एक्ट के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्टफीस पर श्रीमान को सेवामें पेश है।

अतः वादी की अधियाचना है कि–

अः– दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी डिकी किया जा कर वादी को उसके पिता की पुश्तेनी आराजियात जिसका विस्तृत विवरण वादपत्र के चरण न0 4 में किया गया हे मे से 0.19 है0 ग्राम विजयगढ़ तह. दूनी जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ओर इसी अनुरूप राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह चरण 04 में वर्णित आराजियात में से 0.19 है0 की हद तक विवादित आराजियात अन्य किसी को रहन, दान, बेचान गिरवी आदि नही करे, ओर राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तथा नामान्तकरण संख्या 180 दिनांक 14.06.70. को वादी के हितों के विपरीत शून्य घोषित किया जावे।

बः– खर्चा मुकदमा व सहायता प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 4/1 ता 4/2 व 5 ता 7 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली न्यायालय राजस्व लोक अदालत दिनांक 19.05.15 को राजस्व लोक अदालत बंथली में पेश हुई थी, जिसमें प्रतिवादीगण लादू, रतीराम, रामी,लादी, फूला ने उपस्थित होकर अपने अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर करते हुए वाद के पेरा नं. 1 से 10 को स्वीकार कर लिखा कि हमारे पिता के नाम की भूमि में वादी मनफूल को उसके हिस्से की जमीन नाम रिकॉर्ड की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 मनफूल पुत्र बजरंगा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0, पी. डब्ल्यू–2 छगनाराम पुत्र श्री हीरालाल जाति मीणा आयु 70 साल

4.4.25

निवासी बंथली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 व पी. डब्ल्यू–3 बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर आयु 48 साल निवासी बंथली तहसील दूनी जिला टोंक का पेश किया।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2012–15, प्रदर्श–2 नामान्तकरण, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2026–29, प्रदर्श–4 लगायत 8 मिलान क्षैत्रफल कुल 5, प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श–10 जमाबन्दी हाल पेश किये है।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने से जिरह निल रहीं।

अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि सजरे अनुसार वादी प्रतिवादीगण का भाई है तथा बजरंगा की संतान है। बजरंगा की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने मिलीभगत कर वादी का नाम छोड़ते हुए अपने नाम नामान्तकरण संख्या 180 से नामान्तकरण खुलवा लिया। जिसके कारण वादी बजरंगा की भूमि में से अपने हिस्से लगभग 19 एअर से वंचित हो गया है। अतः वाद वर्णित भूमि में वादी का नाम जोड़ा जावे। नामान्तरकण को निरस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को वादी के अधिकार व हिस्से में मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत पाबन्द किया जाकर वादीपक्ष वाद डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वाद को साबित करने का भार वादी पर था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज **प्रदर्श–1** जमाबन्दी सम्वत 2032–25 वाके ग्राम बंथली मांग्या बजरंगा पि. देवा कोम मीणा के नाम ख0न0 1304 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख. नं. 1529 रकबा 19 बिस्वा, ख. नं. 1530 रकबा 2 बिस्वा, ख. नं. 1531 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख. नं. 1532 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 1533 रकबा 7 बिस्वा, ख. नं. 1534 रकबा 4 बिस्वा, ख. नं. 1535 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 1536 रकबा 5 बिस्वा, ख. नं. 1559 रकबा 2 बिस्वा, ख. नं. 1621/1711 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, कुल किंता 11 बीघा 18 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। **प्रदर्श–2** नामान्तकरण पंजिका ग्राम बंथली के नामान्तकरण संख्या 180 में उल्लेखित है कि बजरंगा फोत हो जाने के कारण उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण भरकर पेश है। कॉलम नं. 5 में मांग्या बजरंगा पि. देवा कोम मीणा सा. विजयगढ का नाम दर्ज है और कॉलम संख्या 11 में लक्ष्मीनारायण रतिराम पिता बजरंगा रामी लादी फूला पुत्री बजरंगा जड़ाव बेवा बजरंगा का अंकन है। **प्रदर्श–3** जमाबन्दी सम्वत 2026–29 के कॉलम संख्या 5 में मांग्या वल्द देवा हि. 1/2 व लक्ष्मीनारायण लादिया रतिराम पिता बजरंगा रामी लादी फूला पुत्री बजरंगा मु. जड़ाव बेवा बजरंगा हि. 1/2 कोम मीणा के नाम ख0न0 1304 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख. नं. 1529 रकबा 19 बिस्वा, ख. नं. 1530 रकबा 2 बिस्वा, ख. नं. 1531 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा,

Scanned with OKEN Scanner

साबिक ख. नं. 1532 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 1533 रकबा 7 बिस्वा, ख. नं. 1534 रकबा 4 बिस्वा, ख. नं. 1535 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 1536 रकबा 5 बिस्वा, ख. नं. 1559 रकबा 2 बिस्वा, साबिक ख. नं. 1621 / 1711 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, कुल किता 11 बीघा 18 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। **प्रदर्श–4, 5, 6, 7** मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 व **प्रदर्श–8** ग्राम बंथली से नव सृजित ग्राम विजयगढ बन जाने से मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2057–60 के अनुसार निम्न तालिका अनुसार है:–

हाल ख. नं. विजयगढ	भू–प्रबन्ध के बाद के नम्बर	भू–प्रबन्ध के पूर्व के साबिक नम्बर
132	1966	1533
133	1967	1535
134	1968	1534 1535 1536
135	1969	1535 1536
137	1971	1535
138	1972	1535
139	1973	1532 1533
140	1974	1532 1533
141	1975	1532
151	1985	1531 1530
152	1986	1530 1529
153	1987	1529
154	1988	1529
305	1532	1304
308	1516	1304
309	1530	1304
347	2128	1624 / 1711
348	2129	1624 / 1711

प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत 2065–68 में खसरा नम्बर 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 151, 152, 153, 154, 305, 308, 309, 347, 348, कुल किता 18 कुल रकबा 3.11 हेक्टर ग्राम विजयगढ के खातेदार के कॉलम में सहखातेदार के रूप में प्रतिवादीगण दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–10 जमाबन्दी सम्वत 2065–68 में खसरा नम्बर 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 151, 152, 153, 154, 305, 308, 309, 347, 348, कुल किता 18 कुल रकबा 2.99 है0 ग्राम विजयगढ में सहखातेदार के रूप में प्रतिवादीगण दर्ज रिकॉर्ड है।

4.4.25

उक्तानुसार प्रदर्शित दस्तावेजो व प्रलेखिय साक्ष्य का विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2022–25 मे विवादित

Scanned with OKEN Scanner

साबिक आराजी मांग्या बजरंगा पिता देवा कोम मीणा सा. विजयगढ के नाम दर्ज थी। **प्रदर्श—2** नामान्तकरण पंजिका ग्राम बंथली के नामान्तकरण संख्या 180 के अनुसार बजरंगा फोत हो जाने के बाद उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण में लक्ष्मीनारायण रतिराम पिता बजरंगा रामी लादी फूला पुत्री बजरंगा जड़ाव बेवा बजरंगा का अंकन कर दिया और वादी के नाम को छोड़ दिया गया। **प्रदर्श—3** जमाबन्दी सम्वत 2026—29 के कॉलम संख्या 5 में मांग्या वल्द देवा हि. 1/2 व प्रतिवादीगण लक्ष्मीनारायण लादिया रतिराम पिता बजरंगा रामी लादी फूला पुत्री बजरंगा मु. जड़ाव बेवा बजरंगा हि. 1/2 कोम मीणा का नाम नामान्तकरण अनुसार दर्ज हो गया और उतरोतर आगे के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का ही नाम दर्ज होता रहा। **प्रदर्श—4 से 8** उक्त विवादित साबिक आराजी ख. नं. व भू—प्रबन्ध के बाद के बने ख. नं व बंथली ग्राम से नव सृजित राजस्व ग्राम विजयगढ बनने के बाद बने खसरा नम्बर उक्त तालिका अनुसार मिलान सही है। प्रदर्श—9 व 10 के अनुसार विवादित आराजी में सहखातेदार के रूप में प्रतिवादीगण के साथ वादी का नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड नहीं है।

वाद में पेश शपथ पत्र, साक्ष्य पी. डब्ल्यू—1 से 3 व राजस्व लोक अदालत में प्रतिवादीगण द्वारा दिये गये जवाब से स्पष्ट होता है कि वादी उक्त विवादित आराजी के पूर्व सहखातेदार बजरंगा पुत्र देवा का ही वारिस है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में बजरंगा पुत्र देवा की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 180 में वादी का नाम नहीं आने से उतरोतर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त विवादित आराजी में वादी का नाम नहीं आया। जिसका वो वास्तव में हकदार था। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः वादी द्वारा वाद को दस्तावेजी साक्ष्यो व प्रलेखिय साक्ष्यो से साबित करने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादी को विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 59 के ख. नं. 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 151, 152, 153, 154, 305, 308, 309, 347, 348, कुल किता 18 कुल रकबा 2.99 है0 ग्राम विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक में वादी को 1/16 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 4/1 ता 4/2 व 5 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के उक्त 1/16 हिस्से को रहन, दान, बेचान, गिरवी आदि नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 04.04.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम दूनी व अलजाम श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो.....

उनवानी दावा :

मनफूल पुत्र बजरंगाा जाति मीणा आयु 35 साल निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

–वादी –

बनाम

1. लादू उर्फ लादया पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ दूनी जिला टोंक राज0
2. रत्तिराम पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. मु0जडाव बेवा बजरंगाा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. ~~लक्ष्मीनारायण पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ दूनी जिला टोंक राज0~~

4/1 भैरूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

4/2 ममता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

5. रामी पुत्री बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. लादी, पुत्री बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. फूला पुत्री बजरंगा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. त्हसीलदार जी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

दावा घोषणा खातेदारी, इस्तकरार हक एवमं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 57 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी दूनी बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 4/1 ता 4/2 व 5 ता 7 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वादी द्वारा वाद को दस्तावेजी साक्ष्यो व प्रलेखिय साक्ष्यो से साबित करने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादी को विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 59 के ख. नं. 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 151, 152, 153, 154, 305, 308, 309, 347, 348, कुल किता 18 कुल रकबा 2.99 है0 ग्राम विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक में वादी को 1/16 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 4/1 ता 4/2 व 5 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के उक्त 1/16 हिस्से को रहन, दान, बेचान, गिरवी आदि नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Scanned with OKEN Scanner

जी.......................................मुवक्लिक.......................................बाबत् ....
....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना
आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज, तारीख 04 माह 04 सन् 2025
को जारी किया गया।

दस्तख्त ....
ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली........

मुहर
......

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

Scanned with OKEN Scanner